कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–राजगढ़ (म.प्र.)

//आदेश//

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पारित)

क्रमांक 8179/एस.डब्ल्यू./कोविड–19/2020 राजगढ़, दिनांक 30 जूलाई,2020

कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड–19) की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं आवश्यक बचाव के उपाय किऐ जाने हेतु राजगढ़ जिले की आम जनता की सुविधा, लोक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मैं नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजगढ़ निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूँ :–

1. दिनांक 31.07.2020 की रात्रि 08 बजे से दिनांक 04.08.2020 के रात्रि 08.00 बजे तक ब्यावरा एवं नरसिंहगढ नगरीय क्षेत्र जिला राजगढ़ राजस्व सीमा में टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाता है, टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
2. उपरोक्त क्षेत्र में अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विघुत, दूरसंचार, नगरपालिका, नगर परिषद, वन, बैंक आदि इससे मुक्त रहेंगे।
3. मेडिकल दुकान और चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे।
4. किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
5. उपरोक्त क्षेत्र में शराब दुकानें बंद रहेंगी।

उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेगें :–

1. इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई–कार्ड रखना अनिवार्य होंगा।
2. घर–धर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर सुबह 06.30 बजे से 09.30 बजे तक टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
3. अंत्येष्टि हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप 10 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति रहेंगी।
4. औघोगिक प्रतिष्ठान जिनमें उत्पादन संबंधी गतिविधियां अनवरत चलती हैं, वे लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉं नही है और न ही यह संभव है इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये । अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भादवि की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही संपादित की जावेगी।

(नीरज कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–राजगढ़

पृ.क्रमांक / 8180 / एस.डब्ल्यू. / कोविड–19 / 2020 राजगढ़, दिनांक 30 जूलाई, 2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग म.प्र.शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक राजगढ की ओर प्रेषित कर लेख है कि, समस्त थाना प्रभारी को अपने स्तर से निर्देशित कराना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ की ओर पालनार्थ।
6. उपखण्ड मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / मुख्य नगरपालिका अधिकारी / मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त)................................ की ओर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की ओर पालनार्थ।
8. सहायक संचालक जनसम्पर्क विभाग राजगढ की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला राजगढ (म.प्र.)